



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ- 47/1/सा.प्र.वि./2026/629

भिलाई, दिनांक 5/5/26

// आदेश //

श्री शशिकांत साहू पिता मोहरलाल साहू, सवच्छता पर्यवेक्षक की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 05.05.2026 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह कि अंतिम तिथि 31.05.2026 अपरान्ह को नगरपालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपायुक्त

नगरपालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 5/5/26

पृ.क्र./एफ- 47/1/सा.प्र.वि./2026/630
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/ अध्यक्ष, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधिक्षण अभियंता, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त I/II, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त जोन 01, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. पेंशन लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगरपालिक निगम, भिलाई को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
13. श्री शशिकांत साहू पिता मोहरलाल साहू, सवच्छता पर्यवेक्षक, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त

नगरपालिक निगम

भिलाई